रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 <u>REGD. No. D. L.-33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-29042022-235446 CG-DL-E-29042022-235446

### असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

# प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 311] No. 311] नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 29, 2022/वैशाख 9, 1944 NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 29, 2022/VAISAKHA 9, 1944

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 अप्रैल, 2022

सा.का.नि. 325(अ).—केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 के साथ पठित धारा 139 की उपधारा (8क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आयकर नियम, 1962 का निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात:-

- 1. सक्षिप्त नाम और प्रारंभ.-(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आयकर (ग्यारहवां संशोधन) नियम, 2022 है।
  - (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. आयकर नियम, 1962 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है), नियम 12कख के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएंगे, अर्थात् :-
  - **"12कग. आय की अद्यतन विवरणी**.-(1) धारा 139 की उपधारा (8क) के अधीन विवरणी फाइल करने योग्य व्यक्ति 1 अप्रैल, 2020 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष और पश्चात्वर्ती वर्षों से संबंधित आय की विवरणी प्ररुप आईटीआर-यू में कर सकता है जो इसमें उपदर्शित तरीके से सत्यापित होगा।
  - (2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट आय की विवरणी किसी व्यक्ति द्वारा दिया जा सकता है जो उसके स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट तरीके में नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में वर्णित है:-

2979 GI/2022 (1)

## सारणी

क्रम सं.	व्यक्ति	आय की विवरणी देने की रीति
(1)	(2)	(3)
1.	व्यष्टि या हिंदू अविभक्त कुटुंब या फर्म या सीमित दायित्व वाली भागीदारी या व्यष्टि के निकाय या व्यक्तियों का संगम, चाहे वे निगमित हों या नहीं, या स्थानीय प्राधिकारी या कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति जिसके मामले में अधिनियम की धारा 44 कख के अधीन खाते को संपरीक्षित किया जाना अपेक्षित है या कंपनी या राजनीतिक पार्टी को प्ररुप आईटीआर-7 में विवरणी देना अपेक्षित है।	अंकीय चिह्नक के अधीन इलेकट्रानिक रुप से
2.	व्यष्टि या हिंदू अविभक्त कुटुंब या फर्म या सीमित दायित्व वाली भागीदारी या व्यष्टि के निकाय या व्यक्तियों का संगम, चाहे वे निगमित हों या नहीं, या स्थानीय प्राधिकारी या कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति या धारा 139 की उपधारा (4क) या उपधारा (4ख) या उपधारा (4ग) या उपधारा (4घ), उपरोक्त क्र.सं. (1) के संतम्भ (2) में उल्लिखित व्यक्तियों से अन्य।	(क) अंकीय चिह्नक के अधीन इलेकट्रानिक रुप से (ख) इलेक्ट्रानिक सत्यापन कोड के अधीन विवरणी में डाटा को इलेक्ट्रानिक रुप में प्रेषित करना

स्पष्टीकरण.- इस उपनियम के प्रयोजनों के लिए "इलेक्ट्रानिक सत्यापन कोड" से आयकर के प्रधान महानिदेशक (प्रणाली) या आयकर महानिदेशक (प्रणाली) द्वारा विनिर्दिष्ट निर्मिति डाटा संरचना और मानकों के अनुसार आय की विवरणी देना व्यष्टि के इलेक्ट्रानिक रुप से सत्यापन के प्रयोजनों के लिए उत्पन्न कोड अभिप्रेत है।

- (3) आयकर प्रधान महानिदेशक (प्रणाली) या आयकर महानिदेशक (प्रणाली) डाटा को सुरक्षित रखने और भेजने को सुनिश्चित करने के लिए प्रक्रिया, रुपविधान और मानकों को विनिर्दिष्ट करेंगे और सारणी के संतम्भ (3) में विनिर्दिष्ट रीति में देने के संबंध में उचित सुरक्षा, अभिलेखीय और क्षतिपूर्ति नीतियों को विकसित करने और कार्यान्वित करने के लिए जिम्मेदार भी होंगे।'।
- 3. मूल नियमों में, परिशिष्ट-2 में, आईटीआर-पाव. के पश्चात् निम्नलिखित आईटीआर-यू (विवरणी अद्यतन करने के लिए आईटीआर) अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

		भारतीय आयकर अद्यतन विवरणी
		[व्यक्तियों के लिए सुसंगत निर्धारण वर्ष के अंत से चौबीस महीने के भीतर आय को अद्यतन करने के लिए]
क्र	आ.क.वि यू	(पात्रता के लिए निर्देश देखें)
격	•	(कृपया आयकर नियम, 1962 का नियम 12कक देखें)

भागव	क स	ाधाः	रण	जान	नका	री	- 1	39	(8	क)																
(क 1) पैन	(क <b>2)</b> नाम (क <b>3</b> आधार संख्या (12 अंक) / आधार नामांकन आईडी (28 अंक) (यदि आधार संख्या के लिए पात्र हैं)															ार										

(क4) निर्धारण वर्ष	(क 5) क्या इस निर्धारण वर्ष के	लिए	(क 6) यदि हाँ, क्या धारा 139(1) के अधीन फाइल
[कृपया निर्देश देखें]	पहले विवरणी फाइल की गई थी	·?	किया गया है
	□ हाँ □ नहीं		□ अन्य □
(क7) यदि लागू हो, तो फाइल	=	पाव.सं.औ	गेर
पावती संख्या या रसीद संख विवरणी फाइल करने	व्या और मूल ∣ड्रॉपडाउन से की तारीख  आईटीआर	फाइल क	
ायपरणा काइल करन (दिन/माह/वर्ष)	प्रकार चुनें)	की तारीख	ब
, ,	 ) के पद्रले   दसरे और तीसरे परंतक	<u> </u> 5 मेंअधिकाः	
हैं?		. 19119111	
□ हाँ□ नहीं			
(क9) कृपया अपनी आय को अद्य	ातन करने के लिए आईटीआर प्ररूप	 प चुनें (आई	ईटीआर 1-7 को ड्रॉप-डाउन से चुना जाना चाहिए और ई-
फाइलिंग उपयोगिता द्वारा उपल	ब्ध कराए गए विवरण के अनुसार	:भरा जाना	। चाहिए - निर्देश देखें)
(क10) आपकी आय को अद्यतन	करने के कारण:		
🗖 विवरणी पहले फाइल	नहीं किया गया		
🗖 आय की सही सूचना न	हीं दी गई		
🗖 आय के गलत शीर्ष चुने	• गए		
🗖 अग्रेषित हानि में कमी			
🗖 शेष अवक्षयण में कमी			
🗖 धारा 115ञख/115 ञ	ग के अधीन प्रतिदेय कर में कमी		
🗖 कर की गलत दर			
□अन्य			
(क11) क्या आप अद्यतन विवरप	गी सुसंगत निर्धारण वर्ष के अंत से	□12 मही	ने तक 🛘 12 से 24 महीनों के बीच की अवधि के दौरान
फाइल कर रहे हैं			
(क12) (क) क्या आप अग्रेषित ह	ानि या शेष अवक्षयण या प्रतिदेय	कर को कम	म करने के लिए अद्यतन विवरणी फाइल कर रहे हैं?
□ हाँ□ नहीं			
(ख) यदि हां, तो कृपया निर्धारण	वर्ष निर्दिष्ट करें जहां इस अद्यतन	<sup>.</sup> विवरणी वे	के कारण अग्रेषित हानि या शेष अवक्षयण या प्रतिदेय कर
प्रभावित हो रहा है। (कृपया ड्रॉप	। डाउन मेनू से चयन करें)		
· ·	। वर्ष के लिए पुनरीक्षित विवरणी		•
🗖 क्या उपरोक्त (ख) में निर्धारण	। वर्ष के लिए अद्यतन विवरणी फा	ाइल की गई	ई है <b>□ हाँ □ नहीं</b>

भाग	ब - कुल	ा अद्यतन आय और देय कर की अति संगणना	
1.	क	आय का शीर्ष जिसके अधीन अद्यतन विवरणी राशि के अनुसार रुपये में अतिरिक्त आय लौटाई जा रही है	रकम रुपए में
		आय का शीर्ष (यदि हाँ, तो कृपया अतिरिक्त आय निर्दिष्ट करें)	
	क.	वेतन से आय	
	ख.	गृह संपत्ति से आय	
	ग.	व्यापार या पेशे से आय	
	घ.	पूंजीगत लाभ से आय	
	퍟.	अन्य स्रोतों से आय	

	퍽.	कुल अतिरिक्त आय (क+ख+ग+घ+ङ.+च)	
	ख.	पिछले वैध विवरणी के अनुसार कुल आय (केवल उन मामलों में जहां आयकर विवरणी पहले फाइल किया गया है)	
2.		भाग ख-टीआई के अनुसार कुल आय (कृपया निर्देश देखें)	
3.		देय राशि, यदि कोई हो (अद्यतन आईटीआर के भाग ख-टीटीआई की "देय राशि" से ली जाए) (कृपया निर्देश देखें)	
4.		वापसी योग्य राशि, यदि कोई हो (अद्यतन किए गए आईटीआर के भाग ख-टीटीआई के " प्रतिदाय " से ली जाए) (कृपया निर्देश देखें)	
5.		अंतिम वैध विवरणी के आधार पर देय राशि (केवल लागू मामलों में)	
6.		(i) पिछले वैध विवरणी के अनुसार दावा किया गया प्रतिदाय, यदि कोई हो (कृपया निर्देश देखें)	
		(ii) पिछले वैध विवरणी के अनुसार जारी किया गया कुल प्रतिदाय, यदि कोई हो (धारा 244क के अधीन प्राप्त ब्याज सहित ) (कृपया निर्देश देखें)	
7.		धारा 234च के अधीन आय की विवरणी प्रस्तुत करने में चूक के लिए शुल्क	
8.		नियमित निर्धारण कर, यदि कोई हो (लागू मामलों में)	
9.		अतिरिक्त आय पर सकल देयता	
		(i) यदि धनवापसी जारी की गई है <b>[3 + 6ii- (5 + 8)])</b>	
		(ii) यदि धनवापसी जारी नहीं की गई है [3 + 6i – (5+8)]	
10.		अद्यतन आय पर अतिरिक्त आयकर देयता [25% or 50% of (9-7)]	
11.		देय शुद्ध रकम (9+10)	
12.		140ख के अधीन संदेय कर	
13.		देय कर (11-12)	

14. क		कर संदाय (केवल अद्यतन विवरणी के अनुसार) धारा 140ख के अधीन अद्यतन विवरणी पर कर के भुगतान का विवरण																			
	क्र.सं.		,सआर				जमा	करने		ारीख		चाल	ान रव संख	म की त्या	क्रम		₹	रकम	(रु.)		
	(1)		(2)					(3	3)				(4	I)				(5	5)		
140ख के अधीन कर	i																				
- के अह	ii																				
140ਾਬ	iii																				
	iv																				
	टिप्पण►	भा	ग ख-	अति के	क्र. सं	.11पर	धारा	140	)ख के	अधीन	ा संदे	य कर	का य	गि		<b>,</b>	ı				
	कर संदाय																				
ख	अग्रिम कर विवरणी मे							-								-		या है	पह	ले के	

	क्र.सं.	7	बीएस	आर व	कोड						की <sup>;</sup> ाह/व				चाला संख्या		शि की	क्रम			र	कम	(रु.)	)	
निधार	(1)			(2)						(;	3)					(-	4)					(5	5)		
यमित	i																								
कन/नि	ii																								
्म भ	iii																								
अग्रिम/स्व-मूल्यांकन/नियमित निर्धारण कर	iv																								
अप्त 	हिं														हीं है				·		L				
		ह अधीन अधीन र	~				~	वेवर	णी	में न	हीं वि	केया	गया	है [	उसके	लिए	धारा	-	रुप	ाए					

#### सत्यापन

मैं,	पुत्र/पुत्री	सत्यनिष्ठा से घोषणा व	करता हूं कि मेरे सब	र्वोत्तम ज्ञान और विश्व	ास के अनुसार, विवरणी
में दी गई जानक	जरी सही और पूर्ण है औ <u>ं</u>	र आयकर अधिनियम, 1961	के उपबंधों के अनु	<mark>ु</mark> सार है। मैं आगे घोषण	गा करता हूं कि मैं हूं इस
विवरणी को	(ई-फाइलिं	ग उपयोगिता में प्रदान करने	के लिए ड्रॉप डाउ	न) के रूप में अपनी क्ष	मता में बना रहा हूं और
मैं इस विवरणी	को बनाने और इसे सत्य	पित करने के लिए भी सक्षम	हूं। मेरे पास स्थार्य	ी खाता संख्या है। (कृ <sup>ा</sup>	पया निर्देश देखें)।
तारीख:			हस्ताक्षर:'.		

[अधिसूचना सं. 48/2022/फा. सं.370142/18/2022-टीपीएल(भाग-1)]

शेफाली सिंह, अवर सचिव, कर नीति और विधायन

टिप्पण: मूल नियम अधिसूचना का.आ. 969(अ), तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किया गया और अधिसूचना सा.का.नि 309(अ), तारीख 22 अप्रैल, 2022 द्वारा अंतिम बार संशोधित किया गया।

### MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

### **NOTIFICATION**

New Delhi, the 29th April, 2022

- **G.S.R.** 325(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (8A) of section 139 read with section 295 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend Income-tax Rules, 1962, namely:-
- 1. **Short title and commencement**.—(1) These rules may be called the Income-tax (Eleventh Amendment) Rules, 2022.
  - (2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Income-tax Rules, 1962 (hereinafter referred to as the principal rules), after rule 12AB, the following rule shall be inserted, namely,—

- **'12AC. Updated return of income.-** (1) The return of income to be furnished by any person, eligible to file such return under the sub-section (8A) of section 139, relating to the assessment year commencing on the 1<sup>st</sup> day of April, 2020 and subsequent assessment years, shall be in the Form ITR-U and be verified in the manner indicated therein.
- (2) The return of income referred to in sub-rule (1) shall be furnished by a person, mentioned in column (2) of the Table below in the manner specified in column (3) thereof:—

#### **TABLE**

Sl. No.	Person	Manner of furnishing return of income
(1)	(2)	(3)
1.	Individual, or Hindu undivided family or a firm or limited liability partnership or an association of persons or a body of individuals, whether incorporated or not, or a local authority or an artificial juridical person in whose case accounts are required to be audited under section 44AB of the Act or a Company or a political party required to furnish a return in Form ITR-7.	Electronically under digital signature.
2.	Individual, or Hindu undivided family, or firm, or limited liability partnership, or an association of persons or a body of individuals, whether incorporated or not, or a local authority or an artificial juridical person, or a person required to file a return under sub-section (4A) or sub-section (4B) or sub-section (4C) or sub-section (4D) of section 139, other than a person mentioned in column (2) of Sl. No. (1) above.	<ul><li>(A) Electronically under digital signature;</li><li>(B) Transmitting the data electronically in the return under electronic verification code.</li></ul>

*Explanation.*— For the purposes of this sub-rule, "electronic verification code" means a code generated for the purpose of electronic verification of the person furnishing the return of income as per the data structure and standards specified by Principal Director General of Income-tax (Systems) or Director General of Income-tax (Systems).

- (3) The Principal Director-General of Income-tax (Systems) or Director-General of Income-tax (Systems) shall specify the procedures, formats and standards for ensuring secure capture and transmission of data and shall also be responsible for evolving and implementing appropriate security, archival and retrieval policies in relation to furnishing the return in the manners specified in column (3) of the Table.'
- 3. In the principal rules, in Appendix-II, after the ITR-Ack, the following Form ITR-U (ITR for updated return) shall be inserted, namely:—

		INDIAN INCOME TAX UPDATED RETURN
ORM	ITR-U	[For persons to update income within twenty-four months from the end of the relevant assessment year]
ÆC.		(Refer instructions for eligibility)
		(Please see rule 12AC of the Income-tax Rules, 1962)

PART	' A	(	ЗE	N	E	R.A	ΙL	, I	NF	(O	RN	IATION – 13	9(8	BA)	)																			
(A1) PAN												(A2) Name					Nu Aac			lig	its	)/ <i>A</i>	la	dh	aa	r	Er	ır	oln	ıeı	nt	Ic	1 (28 dig	gits)

[Please see instruction] filed for this	(A5) whether return previously filed for this assessment year?					(A6) If yes, Whether filed u/s □ 139(1) □ Others									
☐ Yes ☐ No	□ Yes □ No														
(A7) If applicable, enter form filed, Acknowledgement no. or Receipt No. and Date of filing original return (DD/MM/YYYY)	Ack no and dat of filing	~											/	/	
(A8) Are you eligible for filing an updated return as per the conditions laid out in first, second and third provisos to section 139(8A)?															
☐ Yes ☐ No															
(A9) Please choose the ITR form for updating your income (ITRs 1-7 to be selected from drop-down and filled as per the details made available by e-filing utility – see instruction)															
(A10) Reasons for updating your inco	ome:														
☐ Return previously not file	d														
☐ Income not reported corre	ectly														
☐ Wrong heads of income ch	nosen														
☐ Reduction of carried forw	ard loss														
☐ Reduction of unabsorbed	depreciation														
☐ Reduction of tax credit u/s	s 115JB/115JC														
☐ Wrong rate of tax															
☐ Others															
(A11) Are you filing the updated retu												of	the 1	eleva	nt
assessment year □ between 12 to 24 r	nonths from the	e end of t	he rele	eva	nt a	sse	ssn	nen	nt y	ear	•				
(A12) (a) Are you filing the updated return to reduce carried forward loss or unabsorbed depreciation or tax credit? ☐ Yes ☐ No															
(b) If yes, please specify the assessment credit is being affected because of this												orec	ciati	on or	tax
☐ Whether revised return has been f	iled for the AY	in (b) ab	ove 🗖	Ye	s 🗖	No	)								
☐ Whether updated return has been filed for the AY in (b) above ☐ Yes ☐ No															

1.	A	Head of income under which additional income is being returned as per Updated	Amount in Rs
		Return	
		Head of income (If yes, Please specify additional income)	
	a	Income from Salary	
	b	Income from House Property	
	с	Income from Business or Profession	
	d	Income from Capital gains	
	e	Income from other Sources	
	f.	Total additional income (a+b+c+d+e)	
	B.	Total income as per last valid return (only in cases where the Income Tax	
		Return has previously been filed)	
2.		Total income as per Part B-TI (Please see instruction)	
3.		Amount payable, if any (To be taken from the "Amount payable" of Part B-TTI	

	of the updated ITR) (Please see instruction)	
4.	Amount refundable, if any (To be taken from "Refund" of Part B-TTI of the updated ITR) (Please see instruction)	
5.	Amount payable on the basis of last valid return (only in applicable cases)	
6.	(i) Refund claimed as per last valid return, if any (Please see instruction)	
	(ii) Total Refund issued as per last valid return, if any (including interest u/s 244A received) (Please see instruction)	
7.	Fee for default in furnishing return of income u/s 234F	
8.	Regular Assessment Tax, if any (in applicable cases)	
9.	Aggregate liability on additional income,	
	(i) in case refund has been issued [3 + 6ii- (5 + 8)])	
	(ii) in case refund has not been issued [3 + 6i - (5+8)]	
10.	Additional income-tax liability on updated income [25% or 50% of (9-7)]	
11.	Net amount payable (9+10)	
12.	Tax paid u/s 140B	
13.	Tax due (11-12)	

	TAX PAYMENTS (ONLY as per Updated Return)														
A	Details of payments of tax on updated return u/s 140B														
	Sl No	l No BSR Code			Date of Deposit (DD/MM/YYYY)			;	Serial Number of Challan			Amount (Rs)			
40B	(1)	(2)			(3)				(4)			(5)			
TAX PAID U/S 140B	i														
ID (	ii														
(PA	iii														
ГАХ	iv														
-	NOTE ▶	Enter the totals of tay haid 11/5 IAIIR at NI No II of Part R.A.II													
	TAX PA	YME	NTS												
3	Details	of navn												· C	
,	which h under s	as not	been cla	imed						gular Asses same is not					
		as not lection 1	been cla	imed )	in the o	earlier ate of		edit f	or the Serial	_	to be		ed ag	ain	
	under s	as not lection 1	been cla l40B(2)	imed )	in the o	earlier ate of	Preturn (car Deposit M/YYYY)	edit f	or the Serial of C	same is not	to be	Amou	ed ag	ain	
	under se	as not lection 1	been cla 140B(2) R Code	imed )	in the o	earlier ate of	Preturn (car Deposit M/YYYY)	edit f	or the Serial of C	same is not Number hallan	to be	Amou	ed ag	ain	
	sl No	as not lection 1	been cla 140B(2) R Code	imed )	in the o	earlier ate of	Preturn (car Deposit M/YYYY)	edit f	or the Serial of C	same is not Number hallan	to be	Amou	ed ag	ain	
	Sl No  (1)	as not lection 1	been cla 140B(2) R Code	imed )	in the o	earlier ate of	Preturn (car Deposit M/YYYY)	edit f	or the Serial of C	same is not Number hallan	to be	Amou	ed ag	ain	
ADVANCE/SELF ASSESSMENT/ REGULAR ASSESSMENT TAX	sl No  (1)  i  ii	as not lection 1	been cla 140B(2) R Code	imed )	in the o	earlier ate of	Preturn (car Deposit M/YYYY)	edit f	or the Serial of C	same is not Number hallan	to be	Amou	ed ag	ain	

15. Relief u/s 89 which is not claimed in earlier return [relief for the same is not to be	Rs.
allowed under section 140B(2)]	

[भाग II—खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण 9

VE	SIE	$\Gamma \subset \Delta$	TI	$\cap$	N
V 171	<b>\ I I</b> I			.,	

Income-tax Ac be provided in	et, 1961. I further declare that I am ma	solemnly declare that to the best of and complete and is in accordance with the aking this return in my capacity astent to make this return and verify it. I am ison).	ne provisions of the(drop down to
Date:		Signature:'.	
		[Notification No. 48/2022/F. No. 370142/	` /-
		SHEFALI SINGH, Under Secy, Tax F	Policy and Legislation
	ncipal rules were published <i>vide</i> notification GSR 309(E), dated the 22 <sup>nd</sup> A	cation S.O. 969(E), dated the 26 <sup>th</sup> March, 19 April, 2022.	962 and last amended